सामाजिक विज्ञान

कक्षा 8

(राजनीतिक विज्ञान)

अध्याय 4: न्यायपालिका

To get notes visit our website

mukutclasses.in

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 1. आप पढ़ चुके हैं कि 'कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना' न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्त्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है?

उत्तर: 'कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना' न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। अगर न्यायपालिका सरकार के अधीन रहेगी तो ताकतवर नेताओं के खिलाफ फैसला नहीं कर पाएगी। स्वतंत्रता के अभाव में न्यायाधीशों को मजबूर होकर नेताओं के पक्ष में फैसले सुनाने पड़ सकते हैं। अतः न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए ताकि वह जनता के अधिकारों की रक्षा कर सके।

प्रश्न 2. अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है?

उत्तर: संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर अदालत में जाने अनुमति देता है। न्यायपालिका संविधान के अंतिम व्याख्याकार होती है। यदि न्यायपालिका को लगता है कि कानून संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है उसके पास संसद द्वारा पारित किसी विशेष कानून की समीक्षा करने या उसे रद्द करने की शक्ति है, जिसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है।

प्रश्न 3. नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें।

उत्तर:सुधा गोयल के मामले में तीनों स्तर के न्यायलय द्वारा निम्न फैसले दिए:

(i) निचली अदालत का फैसला:- लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चन्द्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई।

(ii) उच्च न्यायालय का फैसला:- लक्ष्मण. शकुन्तला और सुभाष चन्द्र तीनो को बरी कर दिया।

(iii) सर्वोच्य न्यायालय का फैसला - अदालत ने सुभाष चन्द्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ सबूत नहीं थे और लक्ष्मण, शकुंतला को उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रश्न 4. सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए।

(क) आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फ़ैसले से सहमत नहीं थे।

(ख) वे सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले के खिलाफ़ उच्च न्यायालय में चले गए।

(ग) अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं।

उत्तर:

(क) यह बयान सही है।

(ख) यह कथन गलत है। सही कथन: वे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए।

(ग) यह कथन गलत है। सही कथन: अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में नहीं जा सकते।

प्रश्न 5. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण कदम थी?

उत्तर: निश्चित ही 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी। न्याय प्राप्त करने के लिए गरीब आदमी को न्यायालय पहुंचना काफी मुश्किल था। ऐसे में जनहित याचिका की व्यवस्था द्वारा न्यायालय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया।

प्रश्न 6. ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फ़ैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फ़ैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था ?

उत्तर: इस फ़ैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। इस अधिकार का एक महत्त्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत मामले में आनुभविक साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएँगे।

प्रश्न 7. 'इंसाफ़ में देरी यानी इंसाफ़ का कत्ल' इस विषय पर एक कहानी बनाइए ।

उत्तर: वास्तव में 'इंसाफ़ में देरी यानी इंसाफ़ का कत्ल' है। इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाएगा।

रामस्वरूप एक सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। सेवानिवृति पर मिली जमापूंजी से उसने एक बिल्डर से फ्लैट खरीदा जो उसे एक साल में मिलना था। लेकिन जब बिल्डर ने तीन साल तक भी फ्लैट नहीं दिया तो उसने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। 6 साल तक केस लड़ने के बाद जिला अदालत ने रामस्वरूप के पक्ष में फैसला सुनाया। परन्तु बिल्डर ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। लंबी लंबी तारीखें पड़ने लगीं और न्यायालय का फैसला आने में 9 साल और गुजर गए। रामस्वरूप को सेवानिवृति के बाद 15 साल तक किराए के मकान में रहना पड़ा और अदालतों के चक्कर लगते रहे। जब उस 75 वर्ष की आयु में न्याय मिला तो उसने महसूस किया कि न्याय में देरी एक प्रकार से न्याय की हत्या ही है।

प्रश्न 8. अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए ।

उत्तर:

(i) बरी करना:- अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण रमेश को बरी कर दिया ।

(ii) अपील करना - प्रकाश ने निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में अपील कर दी।

(iii) मुआवज़ा:- रेलवे को रेल दुर्घटना में सभी घायलों को मुआवजा देना पड़ा।

(iv) बेदखली:- अदालत ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया।

(v) उल्लंघन:- नियमों का उल्लंघन करने पर कम्पनी पर जुर्माना लगा दिया।

प्रश्न 9. यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़ कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए ।

इस पोस्टर में कहा गया है कि "भूखे पेट भरे गोदाम ! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा !!" इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिला कर देखिए।

उत्तर:

1. सरकार का दायित्व है कि हर व्यक्ति तक खाद्य पदार्थों की पहूंच सुनिश्चित की जाए।
2. हर जरुरतमंद को मुफ्त राशन दिया जाए।
3. अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदा के समय अनाज का वितरण किया जाए।
4. सभी कुपोषित बच्चों को मिड-डे-मील का प्रबंध किया जाए।

MUKUTclasses